(भारत का राजपत्र, असाधारण के भाग III, खण्ड 4 में प्रकाशित)

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

जी. संख्या 156 **नई दिल्ली,** **22 अगस्त 2009**

अधिसूचना

महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38 वां) की धारा 48, 49 और 50 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण, एतद्वारा, संलग्न आदेशानुसार, मुर्मगाँव पत्तन न्यास (एमओपीटी) के दरमान की वैधता को 31 अक्तूबर 2009 तक विस्तारित करता है ।

(ब्रह्म दत्त)
अध्यक्ष

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

प्रकरण सं.टीएएमपी/47/2005-एमओपीटी

मुर्मगाँव पत्तन न्यास (एमओपीटी) ..... **आवेदक**

आदेश

(जुलाई 2009 के 28 वें दिन पारित)

इस प्राधिकरण ने मुर्मगाव पत्तन न्यास (एमओपीटी) के प्रचलित दरमान को दिनांक 30 अक्तूबर 2006 के आदेश द्वारा अनुमोदित किया था। अनुमोदित दरमान की वैधता 31 मार्च 2009 तक निर्धारित की गई थी।

2. इस प्राधिकरण ने एमओपीटी के प्रचलित दरमान की वैधता के दिनांक 27 मार्च 2009 के आदेश संख्या टीएएमपी/47/2005-एमओपीटी द्वारा 31 जुलाई 2009 तक विस्तारित किया था। यह आदेश भारत का राजपत्र में अधिसू सं. 57 द्वारा 13 अप्रैल 2009 को अधिसूचित किया गया था।

3. एमओपीटी ने अपने दरमान के संशोधन के लिए 23 दिसंबर 2003 को एक प्रस्ताव दाखिल किया है, जिस पर सामान्य परामर्श प्रक्रिया अपनाते हुए कार्रवाई की गई है। एमओपीटी ने, प्रस्ताव में से उभरने वाले विभिन्न बिन्दुओं पर मांगी गई अतिरिक्त सूचना / स्पष्टीकरण, हालही में प्रस्तुत किए हैं। पत्तन द्वारा प्रस्तुत की गई सूचनाओं / स्पष्टीकरणों की जाँच पड़ताल की जा रही है। इसलिए, प्रकरण को अन्तिम विचार विमर्श के लिए परिपक्व होने में कुछ और समय लगेगा। इसलिए, यह प्राधिकरण प्रचलित दरमान की वैधता 31 अक्तूबर 2009 तक या अनुमोदित किए जाने वाले संशोधन दरमान के क्रियान्वयन की प्रभावी तिथि तक, इनमें से जो भी पहले हो, विस्तार प्रदान करता है।

4. यदि इसके निष्पादन की समीक्षा के दौरान 1 अप्रैल 2009 के बाद वाली अवधि में स्वीकार्य लागत और अनुमेय प्रतिलाभ से अधिक कोई अतिरिक्त अधिशेष उभरता है तो वह अतिरिक्त अधिशेष, निर्धारित किए जाने वाले प्रशुल्क में पूरीतरह समायोजित किया जाएगा।

(ब्रह्म दत्त)
अध्यक्ष